राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 30, 2016

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि उक्त अधिनियम की अनुसूची के अनुच्छेद 48 के खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट पैतृक संपत्ति के निर्मुक्ति विलेख पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क घटाया जायेगा और निम्नानुसार प्रभारित किया जायेगा:-

क्र.सं.	विवरण	स्टाम्प ड्यूटी की दर
1.	जहां त्यागे गये शेयर, हित, भाग या दावे का बाजार मूल्य 5 लाख रुपये से अधिक नहीं है।	अधिकतम एक हजार रुपये के अध्यधीन रहते हुए त्यागे गये शेयर, हित, भाग या दावे के बाजार मूल्य के बराबर रकम का 1.5 प्रतिशत।
2.	जहां त्यागे गये शेयर, हित, भाग या दावे का बाजार मूल्य 5 लाख रुपये से अधिक है किन्तु 10 लाख रुपये से अधिक नहीं है।	दो हजार रुपये
3.	जहां त्यागे गये शेयर, हित, भाग या दावे का बाजार मूल्य 10 लाख रुपये से अधिक है।	पांच हजार रुपये

पूर्व में संदत्त स्टाम्प शुल्क का प्रतिदाय नहीं किया जायेगा।

यह दिनांक 01.04.2016 से प्रवृत्त होगी।

[एफ.4(6)वित्त/कर/2016-269]
राज्यपाल के आदेश से,
डॉ. देवराज,
संयुक्त शासन सचिव

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION
Jaipur, March 30, 2016

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999), the State Government being of the opinion that it is expedient in public interest so to do, hereby orders that the stamp duty chargeable on the release deed of ancestral property specified in clause (a) of Article 48 of the Schedule of the said Act, shall be reduced and charged as under:-

S.No.	Description	Rate of Stamp Duty
1.	Where the market value of the share, interest, part or claim renounced does not exceed rupees 5 lacs.	1.5 percent of the amount equal to the market value of the share, interest, part or claim renounced subject to maximum of rupees one thousand.
2.	Where the market value of the share, interest, part or claim renounced exceeds rupees 5 lacs but does not exceed rupees 10 lacs.	Two thousand rupees
3.	Where the market value of the share, interest, part or claim renounced exceeds rupees 10 lacs.	Five thousand rupees

Stamp duty already paid shall not be refunded.

This shall come into force with effect from 01.04.2016.

[No.F.4(6)FD/Tax/2016-269]
By Order of the Governor,

(Dr. Devraj)
Joint Secretary to the Government

1/4/16

राजस्थान–सरकार
कार्यालय महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,राज.,
"कर–भवन", अजमेर

क्रमांक : एफ–7(40)जन/2015/ पार्ट-I/3735-4336 दिनांक : 01-4-16

राज्य अधिसूचना क्रमांक एफ.4(6)एफडी/टैक्स/2016/269 दिनांक 30.03.16 की हिन्दी एवं अंग्रेजी की प्रति सूचनार्थ/पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1 शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान, जयपुर।

2 महानिदेशक, राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय, राजस्थान, भूतल 'डी' ब्लॉक वित्त भवन, जनपथ, जयपुर।

3 समस्त जिला कलेक्टर एवं जिला पंजीयक राजस्थान।

4 वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, एस.आर.ए.5/कार्यालय महालेखाकार, (वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखापरीक्षा) राजस्थान, जनपथ, जयपुर।

5 पंजीयक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर को कर बोर्ड के माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ।

6 वित्तीय सलाहकार, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग मुख्यालय अजमेर।

7 अतिरिक्त महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, चतुर्थ तल, वित्त भवन, जयपुर।

8 समस्त उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलेक्टर (मुद्रांक), राजस्थान।

9 संयुक्त निदेशक (कप्यूटर), मुख्यालय अजमेर को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त अधिसूचना को विभाग की वेबसाई igrs.rajasthan.gov.in पर तत्काल अपलोड करावें।

10 उप विधि परामर्शी मुख्यालय, अजमेर।

11 वरिष्ठ विधि अधिकारी, कार्यालय उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलेक्टर (मुद्रांक), वृत्त जयपुर/जोधपुर।

12 समस्त उप पंजीयक (पूर्णकालिक एवं पदेन) राजस्थान को प्रेषित कर लेख है कि राजस्थान स्टाम्प अधिनियम की अनुसूची के आर्टिकल 48 के क्लॉज (ए) के अधीन पैतृक सम्पत्ति के हकत्याग पर दिनांक 01.04.16 से उपरोक्त अधिसूचना के प्रावधान स्टाम्प ड्यूटी प्रभावित किया जाना सुनिश्चित करें।

13 उप राजकीय अभिभाषक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

14 विभिन्न बिल्डर्स एसोसियेशन्स एवं ऐसी समस्त ऐसोसियेशन्स जिनके सदस्य स्टाम्प ड्यूटी से प्रभावित होते है।

15 समस्त प्रभारी अधिकारी आंतरिक लेखा जांच मुख्यालय अजमेर।

16 निजी–सचिव, महानिरीक्षक/निजी–सहायक, अतिरिक्त महानिरीक्षक, अजमेर।

17 समस्त शाखॉए, मुख्यालय अजमेर।

(के.बी. गुप्ता)
महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर

1/4/16

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 30, 2016

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998, (1999 का अधिनियम संख्या 14) की धारा 9.क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इस विभाग की अधिसूचना संख्यांक प.2(6)वित्त/कर/2014-113 दिनांक 12.01.2016 में, इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में विद्यमान अभिव्यक्ति "31.3.2016", जहां कहीं भी आयी हो, के स्थान पर अभिव्यक्ति "31.05.2016" प्रतिस्थापित की जायेगी।

[एफ.4(6)वित्त/कर/2016-270]
राज्यपाल के आदेश से,
डॉ. देवराज,
संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान–सरकार
कार्यालय महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,राज., "कर–भवन", अजमेर

क्रमांक : एफ–7(57)जन/2015/3133 – 3734 दिनांक : 01-4-16

राज्य अधिसूचना क्रमांक एफ.4(6)एफडी/टैक्स/2016/270 दिनांक 30.03.16 की हिन्दी एवं अंग्रेजी की प्रति सूचनार्थ/पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1 शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2 महानिदेशक, राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय, राजस्थान, भूतल 'डी' ब्लॉक वित्त भवन, जनपथ, जयपुर।
3 समस्त जिला कलेक्टर एवं जिला पंजीयक राजस्थान।
4 वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, एस.आर.ए.5/कार्यालय महालेखाकार, (वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखापरीक्षा) राजस्थान, जनपथ, जयपुर।
5 पंजीयक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर को कर बोर्ड के माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ।
6 वित्तीय सलाहकार, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग मुख्यालय अजमेर।
7 अतिरिक्त महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, चतुर्थ तल, वित्त भवन, जयपुर।
8 समस्त उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलेक्टर (मुद्रांक), राजस्थान।
9 संयुक्त निदेशक (कप्यूटर), मुख्यालय अजमेर को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त अधिसूचना को विभाग की वेबसाई igrs.rajasthan.gov.in पर तत्काल अपलोड करावें।
10 उप विधि परामर्शी मुख्यालय, अजमेर।
11 वरिष्ठ विधि अधिकारी, कार्यालय उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलेक्टर (मुद्रांक), वृत्त जयपुर/जोधपुर।
12 समस्त उप पंजीयक (पूर्णकालिक एवं पदेन) राजस्थान।
13 उप राजकीय अभिभाषक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।
14 विभिन्न बिल्डर्स एसोसियेशन्स एवं ऐसी समस्त एसोसियेशन्स जिनके सदस्य स्टाम्प ड्यूटी से प्रभावित होते है।
15 समस्त प्रभारी अधिकारी आंतरिक लेखा जांच मुख्यालय अजमेर।
16 निजी–सचिव, महानिरीक्षक/निजी–सहायक, अतिरिक्त महानिरीक्षक, अजमेर।
17 समस्त शाखाएं, मुख्यालय अजमेर।

(के.बी. गुप्ता)
महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर